

No.

(ﷺ022-22862703) ई-मेल/e-mail-irw@dae.gov.in



भारतसरकार

GOVERNMENT OF INDIA परमाणुक्जजीविभाग

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY अं.स्वा.से.यो. अनुभाग CHSS SECTION TECHNOLOGIES FOR NEW INDIA @ 75
SIGNIA SHE TERMA

अणुशक्तिभवन Anushakti Bhavan छ.शि.म. मार्गC.S.M. Marg मुंबई/ Mumbai - 400 001

7/28/2024/IR&W/CHSS/Vol.III/13295

अक्टूबर October 9th, 2025

कार्यालयज्ञापन / OFFICE MEMORANDUM

विषय:

शिकायत निवारण हेत् उप समिति का गठन

Subject:

Re-constitution of Sub-committee for Grievance Redressal

विभाग को पिछले कुछ समय से विभिन्न सीएचएसएस समितियों में AERWA के सदस्यों को शामिल करने के लिए AERWA (Atomic Energy Retirees' Welfare Association) से कई अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं। उनके अनुरोध की जांच करने पर, विभाग में सक्षम प्राधिकारी ने विभिन्न सीएचएसएस प्रशासन इकाइयों में गठित शिकायत निवारण सिमितियों में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को शामिल करने का निर्णय लिया है।

Department has been receiving numerous representations from AERWA (Atomic Energy Retirees' Welfare Association) for inclusion of members from AERWA in various CHSS committees for quite some times. On examination of their request, Competent Authority in the Department has decided for inclusion of retired employees in the Grievance Redressal Committees constituted at various CHSS Administering Units.

2. इसलिए, इस विभाग के ओएम नंबर 7/28/2024/आईआर एंड डब्ल्यू/6854 दिनांक-10.05.2024 के आंशिक संशोधन में, पऊवि की प्रत्येक सीएचएसएस प्रशासन इकाइयों में शिकायत निवारण के लिए गठित उप-समितियों में सेवानिवृत्त सीएचएसएस लाभार्थियों के प्रतिनिधियों के रूप में एईआरडब्ल्यूए के सदस्यों को शामिल करने का अनुरोध किया जाता है।

Therefore, in partial modification of this Department's OM No. 7/28/2024/IR&W/6854 dated-10.05.2024, it is requested to include members from AERWA as representatives of the retired CHSS beneficiaries in the Sub-committees constituted for grievance redressal at each CHSS Administering Units of DAE.

3. तदनुसार, सभी सीएचएसएस प्रशासन प्राधिकारियों से अनुरोध है कि वे AERWA के परामर्श से AERWA के सदस्यों को शामिल करने के बाद वर्तमान शिकायत निवारण समिति के पुनर्गठन के लिए आवश्यक आदेश जारी करें और इसकी एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को सूचनार्थ भेजें। दिनांक 10.05.2024 के ओएम की अन्य सभी अंतर्वस्तुअपरिवर्तित रहेगी।

Accordingly, All CHSS Administering Authorities are requested to issue necessary orders for re-constitution of the present Grievance Redressal Committee after incorporating members of AERWA in consultation with the AERWA with a copy to the undersigned for information. All other contents of the OM dated 10.05.2024 remains unchanged.

4. इसे विभाग में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

This issues with the approval of the Competent Authority in the Department.

2114ला [29 .2)3 (शर्मिला एन. शेंडे / Sharmila N. Shende)

अवर सचिव(अं.स्वा.से.यो.) / Under Secretary (CHSS)

सभी सीएचएसएस शासी प्राधिकारी All CHSS Administering Authorities

Copy to:

- 1. Dr. Nitin B. Jawale, Director(IR&W/CHSS), DAE Secretariat.
- 2. Shri K.T.P. Balakrishnan, President, AERWA